

परिशिष्ट-दो

प्रपत्र-2(क)

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (संशोधन) नियमावली, 2013 के नियम-17(क) को देखें

कार्यालय, मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर उत्तराखण्ड।

ई-मेल deousn-edu-uk@nic.in

दूरभाष: 05944-250663

फैक्स: 05944-250054

पत्रांक : मान्यता/ 1297/99
सेवा में,

/2021-22

दिनांक 07-06-2021

प्राचार्य,

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, बाजपुर,

ऊधम सिंह नगर

विषय:- निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 19 (2) के प्रयोजनाधिनियम-2013 के नियम 17 (क) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत करने विषयक।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक मान्यता समिति की बैठक दिनांक 23-03-2021 के आलोक में आपके विद्यालय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, बाजपुर, ऊधम सिंह नगर को कक्षा 06से 08 (हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम) तक अधिनियम की धारा-19 (2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है। जनपद ऊधम सिंह नगर में आपके विद्यालय के पंजीकरण की संख्या 60/2020-21 है।

भवदीय,

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
ऊधम सिंह नगर,

पृष्ठांक सं०/ मान्यता/ /2021-22 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0, ऊधम सिंह नगर।
2. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी, जनपद ऊधम सिंह नगर

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
ऊधम सिंह नगर,


Principal
Eklavya Model Residential School
Bazpur (U.S. Nagar)